राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(46)/निपेवि/पीसी/2015–16 दिनांक : 1552751K 30.9.15

परिपत्र

विषयः– कार्यालयाध्यक्ष की अभिशंषा के आधार पर की गई वसूली की राशि को न्यायालय के आदेश पर पेंशनर को लौटाने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 92–94 के अन्तर्गत सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी के विरूद्व बकाया राशि उपादान राशि से वसूल कर समायोजन करने का प्रावधान है। पेंशन विभाग द्वारा उपादान अधिकृति में वसूली के निर्देश देने के साथ विभाग द्वारा सूचित जमा बजट मद भी अंकित किया जाता है जिसके आधार पर कोषाधिकारी द्वारा स्थानान्तरण प्रविष्टी जारी कर समायोजन किया जाता है। अधिकृति की प्रति कार्यालयध्यक्ष को भी भेजी जाती है।

ऐसे मामलों मे न्यायलय द्वारा वसूली पर स्टे लगाने/राशि लौटाने के आदेश देने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा राशि लौटाने के लिए पेंशन विभाग को उत्तरदायी समझकर कार्यवाही की जाती है जो सही नहीं है। राशि का वापस आहरण उसी बजट मद में से किया जा सकता है जिसमे वह राशि कोषाधिकारी द्वारा जमा कराई गई है। दीर्घकालीन अग्रिम की बकाया राशि के अतिरिक्त विभागीय बकाया राशि विभाग के बजट मद में जमा की जाती है जिसका नियंत्रक प्राधिकारी पेंशन विभाग न होकर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष होता है। दीर्घकालीन अग्रिमो के बजट मद का नियंत्रक प्राधिकारी निदेशक कोष एवं लेखा है। अतः कार्यालयाध्यक्ष द्वारा बजट मद के नियंत्रण प्राधिकारी को प्रकरण संदर्भित कर राशि लौटाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

अतः कृपया आप अपने अधीनस्थ सभी अधिकारीयों को ऐसे मामलों में सम्बन्धित बजट नियंत्रक प्राधिकारी से पत्राचार करने के निर्देश प्रदान करावें ताकि न्यायालय के आदेश की पालना मे अनावश्यक विलम्ब न हो।

(के.के.गैडियोक)
निदेशक

क्रमांक : एफ 14(46)/निपेवि/पीसी/2015–16 दिनांकः

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सभी विभागाध्यक्ष राजस्थान।
2. सभी कोषाधिकारी राजस्थान।
3. अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर,भरतपुर।
4. उप/सहायक निदेशक पी आर – कार्यालय हाजा।

निदेशक

क्रमांक : एफ 14(46)/निपेवि/पीसी/2015-16 दिनांक : 1753-K / 30.9.15

1.सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्पयूटर सेल, वित्त विभाग , शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि इसे वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाय।

2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख हैं कि परिपत्र को पेंशन विभाग के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के साथ ही समस्त विभागाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं क्षे0 पेंशन कार्यालयों को ईमेल द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित कराये।

विशेषाधिकारी